<u>**प्रेस-विज्ञप्ति**</u>

असामाजिक तत्वों से ए.टी.एम. की सुरक्षा हेतु दीव समाहर्ता ने आदेश जारी कर बंदूकधारी गार्ड की तैनाती के दिये आदेश

दीव 17 दिसम्बर, 2019: दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने आदेश जारी करते हुए दीव स्थित सभी बैंकों को निदेश दिया है कि जिले में जितने भी ए.टी.एम. हैं, उनमें 24 घंटे बंदूकधारी गार्ड की तैनाती की जाए। दीव स्थित सभी बैंकों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

दीव पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली थी कि बंगलूरू में ए.टी.एम. में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है साथ ही अहमदाबाद में पूरे ए.टी.एम. को जे.सी.बी. मशीन से निकाल लिया गया। ऐसी आशंका है कि दीव स्थित बैंकों के ए.टी.एम. पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे हमले किये जा सकते हैं, जो जानमाल के नुकसान का कारण बन सकता है।

दीव समाहर्ता ने आदेश में बताया है कि दीव स्थित बैंकों के ए.टी.एम. में 24 घंटे बंदूकधारी गार्ड नहीं रहते, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और दीव में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी ए.टी.एम. पर चौबीसो घंटे बंदूकधारी गार्ड की तैनाती अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था 11 फरवरी, 2020 तक या आदेश वापस लिये जाने तक करना अनिवार्य रूप से प्रभावी रहेगा।